



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन
संख्या - 495 / 2026

अभय सिंह @ धुवराज सिंह

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ
एवं अन्य

..... प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : कैलाश नाथ मिश्रा, राहुल मिश्रा
प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीत कुमार पटेल, जिन्होंने आज वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख (रिकॉर्ड) में ले लिया गया है तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह वर्तमान आवेदन, वाद अपराध संख्या 14/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के अंतर्गत, थाना - पटरंगा, ज़िला - अयोध्या/फैजाबाद में अग्रिम ज़मानत हेतु दाखिल की गई है।
3. अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया है कि दिनांक 19.1.2026 को शाम 5-6 बजे के बीच, शिकायतकर्ता दुर्गेश तिवारी का बड़ा भाई, प्रमोद पांडे के घर के सामने बैठा था। उसी समय, आवेदक अभय सिंह एक चार पहिया पर वहाँ पहुँचा और दुर्गेश तिवारी से पैसे माँगे तथा जब उसने मना किया, तो अभय सिंह ने जान से मारने के इरादे से उसके भाई के सिर पर लोहे की छड़ से वार किया। इस बीच सुधाकर तिवारी और अंकित बीच-बचाव करने आए, तब अभय सिंह भागने में कामयाब हो गया।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि घटना अचानक उकसावे की वजह से हुई। हमला करने का कोई इरादा नहीं था तथा इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तत्व अनुपस्थित हैं। यह भी कहा गया है कि चोट मामूली प्रकृति की है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर है। यह खोपड़ी के दाहिने हिस्से में है। सीटी स्कैन में, हेमेटोमा - संभावित नरम ऊतक चोट मिली है।
6. मैंने दलीलों पर विचार किया तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए अस्वीकृति आदेश को भी देखा। आदेश का प्रासंगिक भाग, नीचे दिया गया है :

"4. आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया है। प्रकरण में आवेदक/

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियुक्त द्वारा मजरूह के सर पर लोहे की राड से प्रहार कर जान से मारने का प्रयास किया जाना कहा गया है। बचावपक्ष का कथन कि प्लास्टिक की कुर्सी टूट जाने से गिरकर मजरूह को चोट आयी और उसने कोई हमला नहीं किया है। विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, चूंकि मेडिकल रिपोर्ट जिसका विवरण इंजरी रिपोर्ट में अंकित है जिसमें विशेषज्ञ ने चोटों के सम्बन्ध में अपनी राय अंकित की है :- दाहिनी ओर खोपड़ी पर 16.0 X 2.0 सेंटीमीटर, दाहिने कान के ऊपर 15.0 सेंटीमीटर रक्तस्राव मौजूद है तथा हड्डी तक गहरा है। विशेषज्ञ द्वारा सिर के सी०टी० स्कैन कराने की राय दी गयी है। चोटें सख्त वस्तु से लगभग एक घण्टे पूर्व आना अंकित किया गया है। सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में चमड़े के नीचे फैली हुई खोपड़ी की सूजन दाहिने पार्श्वका क्षेत्र में देखी गई, हेमाटोमा - संभावित नरम ऊतक चोट के साथ; अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा के अधिवक्ता द्वारा सूची से मजरूह के रंगीन छायाचित्र सर पर आयी चोटों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक इतिहास पाया गया है। सर के बिल्कुल बीचोबीच कोई चोट किसी वस्तु के मारने से तो आना सम्भव है, किन्तु कुर्सी से गिरने के कारण उक्त स्थान पर चोट सम्भव नहीं है।

8. अतः अपराध की गम्भीरता तथा प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के आधार अपर्याप्त हैं।"

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद, चोट की आख्या (रिपोर्ट), घायल व्यक्ति के बयान में, चोट पहुंचाने में खास भूमिका मौजूदा आवेदक की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, चोट दाहिनी तरफ खोपड़ी पर 16.0 X 2.0 सेंटीमीटर है, दाहिने कान के ऊपर 15.0 सेंटीमीटर रक्तस्राव मौजूद है तथा हड्डी तक गहरा है, सी०टी० स्कैन में चमड़े के नीचे फैली हुई खोपड़ी की सूजन दाहिने पार्श्वका क्षेत्र में देखी गई, हेमाटोमा - संभावित नरम ऊतक चोट के साथ, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह झूठा फंसाने का मामला है। आवेदक की मिलीभगत स्पष्ट है तथा अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनता है।

8. इस चरण पर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उन्हें नियमित जमानत आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाये तथा इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 5191 / 2021 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया जाये।
9. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, अग्रिम जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत किया जाता है तथा आवेदन खारिज किया जाता है। हालांकि, यह प्रदान किया गया है कि अगर आवेदक आज से दो हफ्ते के भीतर नियमित जमानत आवेदन दाखिल करता है, तो उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, विशेष अनुमति अपील (आपराधिक) संख्या 5191 / 2021 में बनाए गए विधि के अनुसार, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

19 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।